भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 66 of 2023

(Amendment No. 58 to Consolidated subject list of July, 2013 edition)

Sub.: Revised/modified subject list of TC(FM) branch.

It has been decided to revise/modify the subject list of TC(FM) branch under Traffic Commercial Directorate to streamline the working of all freight terminals including the Goods Sheds in a holistic manner. Accordingly, the subject list of TC(FM) branch in 'consolidated list of subjects dealt with by various branches in the Ministry of Railways, July 2013 edition' stands modified, by adding S.No.10 under Freight Marketing (item no. II), as per **Annexure-I**.

2. The above issues with the approval of the competent authority.

Encls.: As above.

No. 2023/O&M/7/20
Dated:- 19.10.2023

(T. Srinivas)
Joint Secretary/ Railway Board
Tele No.: 011-47845551
Email ID : t.srinivas1@gov.in

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW Building and Dayabasti, New Delhi.

Copy to:

CRB & CEO, MF, M/Infra, MO&BD, M/TRS

Copy for information:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)

Annexure-I

T.C.(FM)

I. Parcel Marketing:-

1. Special Schemes for development of Parcel Traffic.
2. Policy for leasing of parcel space in the Brake vans & Parcel Vans.
3. Policy for leasing of Parcel Cargo Express trains.
4. Movement of parcel traffic including perishables.
5. Policy for allotment of Parcel Vans (Priority Schedule).
6. Rationalization scheme for booking and carriage of parcel traffic.
7. Refrigerated Vans (VPRs) for perishable cargo.
8. Privately owned Treasury Vans for transportation of currency.
9. Assessment for requirement of all type of parcel stock.
10. Proposal for procurement of all type of Parcel Vans (VPH/VPU/VPR etc.).
11. Policy for running of Parcel Express trains (Railway operated).
12. Client specific logistics.
13. Development of new customized parcel vans/ wagons.
14. Closure/Opening of stations for parcel traffic.
15. Restriction/Ban on movement of parcel traffic.
16. Attaching/Balancing of VPs.
17. Mechanical handling & Palletisation of parcels.
18. Target for Parcel earnings, Review performance of loading and earnings.
19. Forwarding and Clearing Agents working in parcel office.
20. Freight Forwarder scheme for parcel traffic.

21. Tatkal Parcel Service for parcel traffic.

22. Implementation of PMS project – issues related to commercial matter.

23. Clarification to all policy matters.

I.1

1. Revision of rates for parcels, luggage, and other coaching traffic.

2. Carriage of election material.

3. Carriage of treasure by rail.

4. Concessions in regard to transport of consignments carried during natural calamities like floods, cyclones, droughts, etc.

5. Haulage rates for postal vans and mail bags.

II. Freight Marketing:-

1. Policy for premier customers and classification of premier customers.

2. Development of new customer facilities.

3. Transportation of Automobiles traffic (in NMG rakes and other rolling stock).

4. Special scheme for freight traffic i.e. Freight Forwarder Scheme for goods traffic, Speed link Express, Quick Transit Service etc.

5. Development of Intermodal transport system

   (a) Road Railer system (Rail-Road Traffic).

   (b) Roll-on-Roll Off (Ro-Ro) system.

6. Marketing & Sales activities on zonal railways, MCDO of the CCM(FM)s of the zonal railways.

7. Compilation of performance of various marketing schemes.

8. Development of new customized wagons.

9. Clarification to all above policy matters.

10. Customer Amenities related to Goods Sheds under PH 53. (Vide Office Order No. 66 of 2023)

III. Interaction of the Railway with trade & industry:-

1. Organize meeting of –

   (a) Trade and industries.

   (b) CCM(FM)s of the zonal railways.

2. Coordination with groups of chambers of commerce viz. CII/FICCI/ASSOCHAM/CMA etc.

3. Meeting/Conference of CCM(FM)s of the zonal railways.

IV. Customer Service - Infrastructure:-

1. **Procurement of wagons through private investment.**

   (i) 'Own Your Wagon' Scheme

   (ii) Wagon Investment Scheme.

   (iii) Liberalized Wagon Investment Scheme.

   (iv) Special Freight Train Operator (SFTO) Scheme.

   (v) Auto Freight Train Operator (AFTO) Scheme.

2. **Development of terminal through private investment.**

   (i) Private Freight Terminal (PFT)

   (ii) Terminal Development Scheme (TDS)

   (iii) Terminal Incentive cum Engine-on-load scheme (TIELS)

   (iv) Development of Automobile and Ancillary Hub.

3. **Development of Warehousing through private investment.**

   (i) Formulation of policy for setting up of warehouses by CWC.

   (ii) Formulation of policy for setting up of warehouses through public private partnership.

(iii) Setting up of temperature controlled Perishable Cargo Centre under Kisan Vikas Project.

Clarification to all above policy matters I, II & III.

V. <u>Sidings:-</u>

1. Coordinating matters relating to marketing of sidings traffic.

2. Nodal branch for all issues related to working on Sidings after it is notified for commercial operation viz. non-recovery of damages and re-railing charges from siding owners, non-recovery of wagon repair charges from private siding owners etc.

VI. <u>High Profit Yielding Commodities:-</u>

1. Identification of,

2. Monitoring loading and earnings.

3. Coordination with trade to increase rail borne traffic.

VII. <u>Strategy to improve rail coefficient:-</u>

1. Marketing strategy to improve low rail coefficient traffic like automobiles traffic.

2. Development of special design for wagons.

VIII. <u>City Booking Agencies/Out Agencies:-</u>

1. City Booking Agencies.

2. Out Agencies.

3. Street Collection and delivery services.

IX. Parcel handling contracts.

Policy regarding absorption of Parcel porters in Railway Service, Court Cases.

X. Uneconomic Branch Lines.

Issue of Notification for closure of Uneconomic Branch Lines and Ferry Services.

XI. Rail Road Co-ordination

(i) Central Government (Railway) contribution to State Road Transport Corporation (SRTC).

(ii) Nomination of Railway Officer for SRTC.

XII. Revision of Manual/Act

(i) Commercial Manual – (Compilation of amendments issued by various branches/Directorates of Railway Board, Printing and distribution of)

(ii) Railways' Act 1989 – Railways' Act 1989-(Compilation of amendments issued by various branches/Directorates of Railway Board, Printing and distribution of), ED(FM), Nodal Officer for Railways' Act, 1989. **(Vide Office Order No. 30 of 2023).**

XIII. Mechanical handling and Pallestisation

Participation in meetings held by Bureau of Indian Standards (BIS) regarding examination of national standards and specifications for pallets etc.

XIV. Parliament Questions on above including marketing of/transportation of Agricultural Products, Traffic relating to Automobile sector handled by Railways, Cold Storage at Railway Stations, Retail Trade, concession to Industrial Units, setting up of Freight Terminals, etc.

****

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2023 का कार्यालय आदेश सं. 66

(जुलाई, 2013 के संस्करण की समेकित विषय-सूची में संशोधन संख्या 58)

विषय: यातायात वाणिज्य (मालभाड़ा विपणन) शाखा की संशोधित/आशोधित विषय सूची।

मालशेड सहित सभी फ्रेट टर्मिनलों की कार्यप्रणाली को समग्र रूप से सरल एवं कारगर बनाने के लिए यातायात वाणिज्यिक निदेशालय के अंतर्गत यातायात वाणिज्य (मालभाड़ा विपणन) शाखा की विषय-सूची को संशोधित/आशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा सम्हाले जा रहे विषयों की समेकित सूची में यातायात वाणिज्य (मालभाड़ा विपणन) शाखा की विषय-सूची में मालभाड़ा विपणन (मद सं. II) के अंतर्गत क्रम सं. 10 को जोड़कर जुलाई, 2013 संस्करण को अनुबंध-I के अनुसार संशोधित किया गया है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न:यथोक्त।

सं.2023/ओएंडएम/7/20
दिनांक: 19.10.2023

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं.: 011-47845551
ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, **काफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती,नई दिल्ली में सभी अधिकारी और शाखाएं।**

प्रतिलिपि प्रेषितः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)

अनुबंध-I

यातायात वाणिज्य (मालभाड़ा विपणन)

I. पार्सल विपणन: –

1. पार्सल यातायात के विकास के लिए विशेष योजनाएं।
2. ब्रेक वैन और पार्सल वैन में पार्सल स्थान को पट्टे पर देने संबंधी नीति।
3. पार्सल कार्गो एक्सप्रेस गाड़ियों को पट्टे पर देने संबंधी नीति।
4. नश्य वस्तुओं सहित पार्सल यातायात का संचलन।
5. पार्सल वैन के आवंटन के लिए नीति (प्राथमिकता अनुसूची)।
6. पार्सल यातायात की बुकिंग और परिवहन के लिए युक्तिकरण योजना।
7. नश्य कार्गो के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन (वीपीआर)।
8. मुद्रा के परिवहन के लिए निजी स्वामित्व वाली ट्रेजरी वैन।
9 सभी प्रकार के पार्सल स्टॉक की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन।
10. सभी प्रकार के पार्सल वैन (वीपीएच/वीपीयू/वीपीआर आदि) की खरीद संबंधी प्रस्ताव।
11. पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों (रेलवे परिचालित) के चालन संबंधी नीति।
12. ग्राहक विशिष्ट रसद।
13. नए अनुकूलित पार्सल वैन/सवारी डिब्बों का विकास।
14. पार्सल यातायात के लिए स्टेशनों को बंद करना/खोलना।
15. पार्सल यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध/रोक।
16. पार्सल वैन जोड़ना/संतुलन।
17. पार्सल की यांत्रिक संभलाई और क्रमबद्ध व्यवस्था।
18. पार्सल आय के लिए लक्ष्य, लदान और आमदनी के कार्य निष्पादन की समीक्षा।
19. पार्सल कार्यालय में कार्यरत अग्रेषित और निकासी एजेंट।
20. पार्सल यातायात के लिए मालभाड़ा अग्रेषक योजना।
21. पार्सल यातायात के लिए तत्काल पार्सल सेवा।
22. पीएमएस परियोजना का कार्यान्वयन - वाणिज्यिक मामले से संबंधित मुद्दे।
23. सभी नीतिगत मामलों पर स्पष्टीकरण।

I.1

1. पार्सल, सामान और अन्य कोचिंग यातायात के लिए दरों में संशोधन।
2. चुनाव सामग्री की ढुलाई।
3. रेल द्वारा खजाने की ढुलाई।
4. बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ले जाए जाने वालो परेषणों की ढुलाई संबंधी रियायतें।
5. डाक वैन और मेल बैग के लिए ढुलाई दरें।

II. मालभाड़ा विपणन

1. प्रमुख ग्राहकों के लिए नीति और प्रमुख ग्राहकों का वर्गीकरण।
2. नई ग्राहक सुविधाओं का विकास।
3. ऑटोमोबाइल यातायात का परिवहन (एनएमजी रेक और अन्य चल स्टॉक में)।
4. मालभाड़ा यातायात हेतु विशेष योजना अर्थात माल यातायात के लिए मालभाड़ा अग्रेषक योजना, स्पीड लिंक एक्सप्रेस, त्वरित पारगमन सेवा आदि।
5. इंटरमॉडल परिवहन प्रणाली का विकास
(क) रोड रेलर प्रणाली (रेल-सड़क यातायात)।
(ख) रोल-ऑन-रोल ऑफ (आरओ-आरओ) प्रणाली।
6. क्षेत्रीय रेलवे पर विपणन और बिक्री संबंधी कार्यकलाप, क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम (एफएम) के एमसीडीओ।
7. विभिन्न विपणन योजनाओं के कार्य निष्पादन का संकलन।
8. नए अनुकूलित मालडिब्बों का विकास।
9. उपर्युक्त सभी नीतिगत मामलों पर स्पष्टीकरण।
10. योजना शीर्ष 53 के तहत माल शेड से संबंधित ग्राहक सुविधाएं (2023 के कार्यालय आदेश सं. 66 के तहत)

III. रेलवे का व्यापार और उद्योग के साथ पारस्परिक व्यवहार:-

1. निम्नलिखित बैठक आयोजित करना-
(क) व्यापार और उद्योग।
(ख) क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम (एफएम)।

2. सीआईआई/फिक्की/एसोचैम/सीएमए आदि जैसे वाणिज्य मंडलों के समूहों जैसे के साथ समन्वय।
3. क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम (एफएम) की बैठक/सम्मेलन।

IV. ग्राहक सेवा - बुनियादी ढांचा: –

1. निजी निवेश के माध्यम से मालडिब्बों की खरीद।
(i) 'ओन योर वैगन' योजना
(ii) वैगन निवेश योजना।
(iii) उदारीकृत वैगन निवेश योजना।
(iv) विशेष मालगाड़ी प्रचालक (एसएफटीओ) योजना।
(v) ऑटो फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) योजना।

2. निजी निवेश के माध्यम से टर्मिनल का विकास।

(i) निजी माल भाड़ा टर्मिनल (पीएफटी)
(ii) टर्मिनल विकास योजना (टीडीएस)
(iii) टर्मिनल प्रोत्साहन सह इंजन-ऑन-लोड स्कीम (टीआईईएलएस)
(iv) ऑटोमोबाइल और आनुषंगिक हब का विकास।

3. निजी निवेश के माध्यम से मालगोदाम का विकास।
(i) केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा मालगोदामों की स्थापना के लिए नीति तैयार करना।
(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत मालगोदामों की स्थापना के लिए नीति तैयार करना।
(iii) किसान विकास परियोजना के अंतर्गत तापमान नियंत्रित नश्य कार्गो केन्द्र की स्थापना।
उपर्युक्त सभी I, II और III नीतिगत मामलों का स्पष्टीकरण।

V. साइडिंग:
1. साइडिंग यातायात के विपणन से संबंधित मामलों का समन्वय।
2. वाणिज्यिक संचालन के लिए अधिसूचित किए जाने के बाद साइडिंग पर काम करने से संबंधित सभी मुद्दों के लिए नोडल शाखा जैसे साइडिंग मालिकों से नुकसान और री-रेलिंग शुल्क की वसूली न होना, निजी साइडिंग मालिकों से वैगन मरम्मत शुल्क की वसूली न करना आदि।

VI. उच्च लाभ देने वाली वस्तुएं:-
1. पहचान करना।
2. लदान और आमदनी की निगरानी।
3. रेल यातायात को बढ़ाने के लिए व्यापार के साथ समन्वय।

VII. रेल गुणांक में सुधार लाने संबंधी रणनीति:-

1. ऑटोमोबाइल यातायात जैसे कम रेल गुणांक यातायात में सुधार लाने के लिए विपणन रणनीति।
2. माल डिब्बों के लिए विशेष डिजाइन का विकास।

VIII. शहरी बुकिंग एजेंसियां/आउट एजेंसियां:-

1. शहरी बुकिंग एजेंसियां।
2. आउट एजेंसियां।
3. स्ट्रीट कलेक्शन और वितरण सेवाएं।

IX. पार्सल संभलाई।

रेलवे सेवा, न्यायालय मामलों में पार्सल पोर्टरों के समाहन संबंधी नीति।

X. अलाभप्रद शाखा लाइनें।

अलाभप्रद शाखा लाइनों और फेरी सेवाओं को बंद करने के लिए अधिसूचना जारी करना।

XI. रेल सड़क समन्वय

(i) राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) में केन्द्र सरकार (रेलवे) का योगदान।

(ii) एसआरटीसी के लिए रेलवे अधिकारी का नामांकन।

XII. नियमावली/अधिनियम में संशोधन

(i) वाणिज्यिक नियमावली-(रेलवे बोर्ड की विभिन्न शाखाओं/निदेशालयों द्वारा जारी किए गए संशोधनों का संकलन, मुद्रण और वितरण)

(ii) रेल अधिनियम, 1989 रेलवे बोर्ड की विभिन्न शाखाओं/निदेशालयों द्वारा जारी किए गए संशोधनों का संकलन, मुद्रण और वितरण), कार्यपालक निदेशक (मालभाड़ा विपणन), रेल अधिनियम, 1989 के लिए नोडल अधिकारी। (2023 के कार्यालय आदेश संख्या 30 के अनुसार)।

XIIII. यांत्रिक संभलाई और क्रमबद्ध व्यवस्था

राष्ट्रीय मानकों और पैलेट आदि की विशिष्टियों की जांच के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित बैठकों में भागीदारी।

XIV. कृषि उत्पादों के विपणन/परिवहन, रेलवे द्वारा संचालित ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित यातायात, रेलवे स्टेशनों पर शीतागार, खुदरा व्यापार, औद्योगिक इकाइयों को रियायत, फ्रेट टर्मिनल की स्थापना आदि सहित उपर्युक्त पर संसदीय प्रश्न।